(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक 1029–दो/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.07.2011, 30.08.2012 एवं 28.01.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 624/अ–6/2010–11

---

1. श्रीमती गोमती देवी बेवा स्व0 राजाभईया
2. बद्रीप्रसाद पुत्र स्व0 राजाभईया ताम्रकार
3. मनीष कुमार पुत्र स्व0 राजाभईया ताम्रकार
   सभी निवासीगण वार्ड क्र. 11 छतरपुर
   तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव

अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक 16.1.18 **.....को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 624/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2011, 30.08.2012 एवं 28.01.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम छतरपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 1762, 1783 एवं 1785 कुल रकवा कमशः 1.266, 0.093 एवं 1.416 हे. भूमि

आवेदकगणों की पैतृक भूमि है जिसे पटवारी द्वारा रोस्टर करते समय उक्त भूमि वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना आवेदकगण के पिता का नाम दर्ज न करते हुए म.प्र. शासन दर्ज कर दी जिसकी जानकारी होने पर आवेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रकरण क. 34/अ–6/03–04 पंजीबद्ध किया गया। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 18.06.2014 पारित किया गया। उक्त आदेश को कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आदेश दिनांक 11.04.2011 को यह आदेश दिया कि उक्त भूमि म.प्र. शासन की दर्ज की जावे। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 11.07.2011 को प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर स्थगन आवेदन अमान्य किया गया। इसके बाद प्रकरण में रिकॉर्ड की मांग किए जाने के आदेश दिए गए। अपर आयुक्त के इन आदेशों के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण के प्रकरण को सुनवाई हेतु ग्राह्य कर लिया गया है, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन अमान्य कर दिया गया है जबकि प्रकरण प्रथम दृष्टया आवेदक के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में स्थगन आवेदन अमान्य नहीं किया जाना चाहिए था।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि तहसीलदार छतरपुर का आदेश एक अपीलीय आदेश है जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है न कि पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण इस संबंध में 1987 आर.एन. 281 न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है। एवं लंबे समय पश्चात प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1996 आर.एन. 80 अवलोकनीय है। जिस पर विचार किए बिना कलेकटर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किए जाने योग्य है।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की 4 आदेश पत्रिकाओं के विरूद्ध यह निगरानी की गई है । आदेश पत्रिका दिनांक 11–7–11 द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य करते हुए अभिलेख बुलाए जाने के आदेश दिए हैं तथा आवेदकों को कोई क्षति संभावित नहीं होने से स्थगन आवेदन अमान्य किया है । इसके बाद की अन्य आदेश पत्रिकाओं द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा रिकार्ड की मांग की गई है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण में किसी प्रकार का कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रकरण का निराकरण अभी गुण–दोष पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। अतः अपर आयुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरांत उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण उभयपक्ष को सुनकर दो माह में करें । यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर